घरेलू हिंसा का मतलब

घरेलू हिंसा को अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित किया गया है:

किसी भी अधिनियम, चूक या कमीशन या प्रतिवादी के आचरण के मामले में यह घरेलू हिंसा का गठन करेगा:

- स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई, चाहे वह मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित हो या घायल हो या ऐसा करने से रोकता है और इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण शामिल है;
- किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए परेशान करता है;
- खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित किसी भी आचरण से पीड़ित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव है;
- अन्यथा घायल या नुकसान का कारण बनता है, चाहे शारीरिक या मानसिक, पीड़ित व्यक्ति को।

अधिनियम के बारे में

- इस अधिनियम के तहत दुरुपयोग व्यापक है और इसमें न केवल शारीरिक हिंसा शामिल है, बल्कि हिंसा के अन्य रूप भी शामिल हैं जैसे कि भावनात्मक / मौखिक, यौन और आर्थिक शोषण।
- इस अधिनियम के पीछे यह विचार प्रकृति में अधिक सुरक्षात्मक है और अपराध को लागू करने के बजाय पीड़ित की सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देता है
- सभी महिलाएं, पत्नी, बेटी, लिव-इन पार्टनर आदि इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकती हैं, जब तक कि अभियुक्त एक ही साप्ताहिक परिवार में रहता है

॥वसुधैव कुटुम्बकम्॥

SYMBIOSIS
LAW SCHOOL, NOIDA

घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण, 2005

NYAYA BANDHU
PRO BONO LEGAL SERVICES

अधिकार - क्षेत्र

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत या महानगर अदालत, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर सक्षम अदालत होगी

- पीड़ित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी निवास करता है या व्यवसाय करता है या नौकरी करता है
- प्रतिवादी स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहता है या व्यवसाय पर काम करता है या कार्यरत है या
- कार्रवाई का कारण बनता है।

कानूनी सहायता

- डिस्ट्रेस हेल्पलाइन (पैन इंडिया) में महिलाएं - 1091
- राष्ट्रीय महिला आयोग - 011-26942369, 269447541
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (011) 23385368/9810298900
- हरियाणा महिला आयोग - 0172 - 2584039, 0172-2583639
- यूपी। महिला हेल्पलाइन - 0522-2306403, 18001805220
- दिल्ली महिला आयोग (011) 23379181/23370597

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

चरण 1

एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करें।

यदि आप एक पुरुष पुलिसकर्मी के साथ एक दाखिल करने में असहज हैं, तो एक महिला अधिकारी से अनुरोध किया जा सकता है

या, आप एक मजिस्ट्रेट / जज के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो तीन दिनों में इस शिकायत तक पहुंच जाएगा।

चरण 2

आप संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तक पहुँच सकते हैं

चरण 3

अस्थाई निरोधक आदेश के लिए आवेदन करें

यह आरोपी को आपके करीब आने और कोई और नुकसान पहुंचाने से रोकेगा।

इस एप्लिकेशन को जल्दी से हल किया जाता है और अगर यह खारिज कर दिया जाता है तो पीड़ित अतिरिक्त रूप से फैमिली कोर्ट जा सकता है।

मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशों के प्रकार

- संरक्षण के आदेश: यह आरोपी से पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- निवास के आदेश: पीड़ित को उसके घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा और आरोपी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
- मौद्रिक राहत: आरोपियों की चोटों और चिकित्सा व्यय के लिए धनराशि प्रदान की जा सकती है
- मुआवजे के आदेश: शारीरिक चोटों के ऊपर और परे, अदालत मानसिक और भावनात्मक शोषण के लिए भी पैसे दे सकती है।